

प्रपत्र - 11

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नागांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रगाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि

पिता	पति	(विवाहित
महिला के मामले में) ग्राम/नगर	जिला/प्रगड़ल	
, राज्य/संघशासित प्रदेश	जाति के सदस्य हैं, जो	
झारखण्ड रियितयों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये	धर्म को माननेवाले हैं।	

2. साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय झापाक 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सकल्प सं 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यवित/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय झापान सं 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्राप्तित आवेदक तथा उसकी/उसके गाता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म सख्ता-15) सलान करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए गान्य होगी।

स्थान
तिथि

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय के सील सहित